संख्या- 1/2015/ 147 /11-6-2015-एम(07)/2014

प्रेषक,

बीरेष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2015

विषयः- उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन नीति लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2700/प्र0क0-03/आर-06/2013-14, दिनांक 03.11.2014 एवं पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-1614/41-2014-174सा0/13 दिनांक 18.07.2014, जिसके द्वारा प्रदेश में स्थित हेरिटेज सम्पत्तियों को होटल में परिवर्तित कर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज पर्यटन नीति लागू की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेष हुआ है कि पर्यटन विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2014 के प्रस्तर-4(3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-11(1) के अन्तर्गत हेरिटेज होटल को उनके व्यावसायिक संचालन की तिथि से अथवा आवेदक द्वारा इंगित तिथि, जो भी बाद में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी दस वर्षों तक एवं शहरी क्षेत्रों में आगामी पाँच वर्षों तक मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत छूट इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मनोरंजन कर मुक्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में पांच वर्ष तक उक्त संदर्भित व्यवसाय को संचालित किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा दी गयी कर मुक्ति को वापस लेते हुए 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व की भांति उक्त धनराशि वसूल कर ली जायेगी। उक्त कर मुक्त अवधि समाप्त होने के उपरान्त नियमानुसार मनोरंजन कर अधिरोपित किया जायेगा।

3. शासनादेश संख्या-1614/41-2014-174सा0/13 दिनांक 18.07.2014 की शेष शर्त/व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,

बीरेष कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1/2015/ 147 (1)/11-6-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
(5) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 सूर्य प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in